प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र0सू0रि0 सं. ....302/2023.......... दिनांक ....4/12/2023..........
2. (I) अधिनियम–धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(II) अधिनियम .... धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....58.......... समय ....5:00PM..........
(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः–गुरूवार, 21.09.2023
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.09.2023 समय 12.10 पी0एम0
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– खनिज विभाग, भरतपुर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–करीब 127 कि0मी0 लगभग, पूर्व दिशा में
(ब)पता – खनिज विभाग, भरतपुर
बीट संख्या.......................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री धीरज सिंह
(ब) पिता/पति का नाम – पुत्र डॉ. भूरी सिंह सिनसिनवार
(स) जन्म तिथी/वर्ष ....करीब 43 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय– मजदुरी
(ल) पता– 427, कृष्ण नगर, जिला भरतपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
1–आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा, उम्र 38 साल जाति वर्मा निवासी ग्राम उमरी पोस्ट मोहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) हाल खनि कार्यदेषक–II कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 10000/–रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ......रिश्वती राशि 10000/–रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री धीरज सिंह पुत्र डॉ. भूरी सिंह सिनसिनवार, उम्र 43 वर्ष, जाति जाट, निवासी 427, कृष्ण नगर, जिला भरतपुर ने दिनांक 21.09.2023 को समय 12.10 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो दौसा को एक लिखित रिपोर्ट पेश की। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई गई कि " मैं धीरज सिंह पुत्र डॉ. भूरी सिंह, निवासी 427, कृष्णा नगर, भरतपुर का रहने वाला हूं। मैंने एक माईन्स मैसर्स कुमार इन्फास्ट्रेक्चर डवलपमेन्ट प्रा. लि. से अप्रैल 2023 से किराये पर चलाने के लिये ले रखी है, जिसको सुचारू रूप से चलाने देने की ऐवज में खनिज विभाग के श्री वीरेन्द्र सिंह, फोरमैन तथा श्री सन्जू सिंह द्वारा 10000/–रूपये मासिक की मांग मुझसे की जा रही है। मेरी वीरेन्द्र सिंह व सन्जू सिंह से कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी नहीं है एवं ना ही हमारे बीच में कोई पुराना लेन–देन बाकी है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता और उन्हें रंगे हाथों

पकडवाना चाहता हूं। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करें।'' परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया पर कार्यालय मे पदस्थापित श्री प्रेमप्रकाश, कानि. नं. 382 का परिचय परिवादी से करवाया जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी निकालकर परिवादी श्री धीरज सिंह को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर, वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को टेप करने की समझाईस की जाकर जरिये फर्द कानि. श्री प्रेमप्रकाश कानि. को सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत कर परिवादी के प्राईवेट वाहन से परिवादी के साथ जिला भरतपुर के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 7 पी.एम. पर श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 बाद गोपनीय मांग सत्यापन संदिग्ध आरोपी श्री वीरेन्द्र सिंह, फोरमैन, खनिज विभाग, भरतपुर के मय परिवादी श्री धीरज सिंह के उपस्थित कार्यालय आया, जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मैं और परिवादी श्री धीरज सिंह कार्यालय से रवाना होकर जिला भरतपुर में सारस चौराहे के पास खनिज विभाग के कार्यालय पर आरोपी के कार्यस्थल के पास पहुंचे, जहां मैंने परिवादी श्री धीरज सिंह को वॉईस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया और इसके कुछ देर बाद परिवादी श्री धीरज सिंह मेरे पास आये, जिनसे मैंने ये वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। इस पर श्री प्रेमप्रकाश कानि. के साथ उपस्थित आये परिवादी श्री धीरज सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं श्री प्रेमप्रकाश कानि. से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त करके श्री वीरेन्द्र सिंह, फोरमैन व श्री सन्जू सिंह के पास उनके कार्यालय में गया, जहां पर वीरेन्द्र सिंह फोरमैन मौजूद नहीं मिला तो मैंने मेरे मोबाईल से व्हाट्सएप्प कॉल किया तो विरेन्द्र सिंह ने बताया कि मैं खाना खाने घर आ गया हूं करीब आधे घण्टे बाद ऑफिस आता हूं जिस पर मैंने रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा करीब 45 मिनट बाद मैंने पुनः रिकॉर्डर चालू कर कार्यालय में गया तो विरेन्द्र सिंह फोरमैन और एम.ई. भरतपुर का पी.ए. मुझे उपस्थित मिले जहां वीरेन्द्र सिंह फोरमैन ने मुझे अलग से कमरे में ले जाकर मेरी माईन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिये मासिक बन्दी के रूप में बात करके 15000/–रूपये की मांग कर 10,000 रूपये मासिक लेने पर सहमत हुआ और कल सुबह मिलने के लिये कहा है। मैंने वीरेन्द्र सिंह फोरमैन से हुई सभी बातों को आपके द्वारा दिये गये डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को यह हिदायत दी कि कल दिनांक 22.09.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक को माननीय न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर में 2000/रूपये के नोटों को बदलवाने संबंधी कार्यवाही की जानी पूर्व से नियत है, तो उक्त कार्य से निवृत होकर मन् पुलिस निरीक्षक भरतपुर ही उपस्थित हो जाउंगा और आपको सूचित कर दूंगा, इस पर आप रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000/–रूपये अपने साथ लेकर मेरे द्वारा बताये स्थान विशेष पर उपस्थित हो जाना। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी माईन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिये मासिक बन्दी के रूप में बात करके 10000/–रूपये फिक्स करना और कल सुबह मिलने के लिये कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त

कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई एवं परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 22.09.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक माननीय न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर के आदेश की पालना में प्रकरण संख्या 66/2020 में जप्तशुदा राशि जिसमें 2000/–रूपये के नोटों की रंगीन फोटोकॉपी करवाकर पंचनामा मुर्तिब करने की कार्यवाही करने हेतु पूर्व में तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, प्र0 श्रे0 प0 चि0 भाण्डारेज व श्री राकेश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, बहु0 प0 चि0 दौसा को साथ लेकर मय श्री मुनेश कुमार, उपनिरीक्षक पुलिस, श्री बनवारी लाल हैड कानि. नं. 116 (मालखाना प्रभारी), कानि. श्री अशोक कुमार नं. 505 मय सरकारी वाहन, कानि. चालक, कार्यालय लैपटॉप, प्रिन्टर व अन्य साजो सामान के रवाना अलवर हुआ था, इसी दौरान बाद माननीय न्यायालय में 2000/–रूपयों को बदलवाने संबंधी कार्यवाही के पूर्व से नियोजित ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री बनवारी लाल हैड कानि. (मालखाना प्रभारी) को उनके साथ फिनोफ्थेलीन पाऊडर लेकर चलने हेतु भी निर्देश दिये गये थे, जिस पर श्री बनवारी लाल द्वारा अपने निजी बैग में उक्त फिनोफ्थेलीन पाऊडर के डिब्बे को रखा गया था तथा रवाना होने से पूर्व श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, भ्रनिब्यूरो, दौसा को समस्त हालात अर्ज किये गये। इसके बाद समय करीब 1.30 पी.एम. पर श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से जरिये मोबाईल वार्ता कर आयोजित की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु मय ट्रेप बॉक्स व जाप्ता के भरतपुर मिलने हेतु निवेदन किया गयाा। समय 4.14 पी.एम. पर परिवादी श्री धीरज सिंह को डीग–कुम्हेर–भरतपुर राज्य मार्ग पर भरतपुर से पूर्व रेल्वे ब्रिज से पहले मिलने हेतु जरिये मोबाईल हिदायत दी गई तथा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को भी इस हेतु अवगत कराया गया। समय 4.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक डीग–कुम्हेर–भरतपुर राज्य मार्ग पर भरतपुर से पूर्व रेल्वे ब्रिज से पहले पहुंचकर वाहन को सडक के एक ओर साईड में खडा किया, जहां पूर्व से तलबशुदा परिवादी श्री धीरज सिंह उपस्थित मिले एवं श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, मय हमराहीयान श्री राकेश कुमार कानि. नं. 70, श्री मुकेश कुमार कानि. नं. 101, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 मय ट्रेप बॉक्स के उपस्थित है, जो कि प्राईवेट वाहन चालक के साथ उपस्थित मिले। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक के साथ हमराह आये दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री दिनेश कुमार बैरवा हाल वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, प्र0 श्रे0 प0 चि0 भाण्डारेज व श्री राकेश कुमार शर्मा हाल पशु चिकित्साधिकारी, बहु0 प0 चि0 दौसा से बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान का परिवादी श्री धीरज सिंह से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 21.09.2023 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतन्त्र गवाहान को पढवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री धीरज सिंह को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/–रू0 निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्री बनवारी लाल, हैड

कानि. नं. 116 से अपने साथ निजी बैग में लाये फिनोफ्थेलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाया जाकर कार्यालय के सरकारी वाहन की बीच की सीट पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10000/–रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री बनवारी लाल, हैड कानि. नं. 116 से अच्छी तरह से फिनोफ्थेलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री धीरज सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थेलीन पाऊडर युक्त 10000/–रू. के नोट श्री बनवारी लाल, हैड कानि. नं. 116 से परिवादी की पहनी हुई जीन्स की पीछे बांयी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाऊडर युक्त राशि उसे देवे और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात् दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी के आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थेलीन पाऊडर के डिब्बे को वापस श्री बनवारी लाल हैड कानि. को उनके निजी बैग में सुरक्षित रखवाया गया एवं जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थेलीन पाऊडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात् एक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के द्वारा घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री बनवारी लाल, हैड कानि. नं. 116 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को रोड पर एक तरफ फिंकवाया गया। तत्पश्चात् पाऊडर लगाने वाले श्री बनवारी लाल, हैड कानि. नं. 116 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शीशीयां, ढक्कन, चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एवं उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उक्त फर्द जो कि कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से तैयार की गई है का कार्यालय से ही साथ लाये प्रिन्टर की सहायता से पास ही स्थित अनोखी होटल पर बिजली बोर्ड का उपयोग करते हुए उक्त फर्द का प्रिन्ट प्राप्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट व सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद श्री बनवारी लाल हैड कानि. नं. 116 को मय फिनोफ्थेलीन पाऊडर के डिब्बे के भ्रनिब्यूरो दौसा कार्यालय के लिये जरिये बस रवाना किया गया। समय 5.10 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक मय श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्य सर्व श्री मुनेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, श्री अशोक कुमार

कानि0 505, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155, श्री राकेश कुमार कानि. नं. 70, श्री मुकेश कुमार कानि. नं. 101 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के प्राईवेट व सरकारी वाहनों से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही सारस चौराहा, भरतपुर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री धीरज सिंह को उसके प्राईवेट वाहन से कानि. श्री प्रेमप्रकाश नं. 382 के साथ रवाना किया गया। समय 5.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा सारस चौराहा के नजदीक पहुंचा, जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री सन्जू सिंह के कार्यालय में मिलने हेतु परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के सारस चौराहे के नजदीक ही रोड पर एक तरफ अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने समय 5.50 पीएम पर परिवादी बिना ईशारे किये ही मन् पुलिस निरीक्षक के पास सारस चौराहे के नजदीक उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि "मैं यहां से रवाना होकर आरोपी के कार्यालय स्थल पर पहुंचा, जहां आरोपीगण उपस्थित नहीं मिले और मेरे द्वारा आरोपी वीरेन्द्र सिंह के वाट्सअप नंबर पर वाट्सअप कॉल करने पर भी उसने कॉल अटैण्ड नहीं किया है।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया और अपने पास सुरक्षित रखा गया। काफी इन्तजार करने के बाद भी आरोपीगण का कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर एवं परिवादी द्वारा यह जाहिर करने पर कि आज काफी लेट होना और आगामी तीन दिवस का राजकीय अवकाश होने के कारण आरोपीगण का भरतपुर से बाहर जाने का भी अंदेशा है, ऐसी स्थिति में कार्यवाही को यही स्थगित कर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी के बदन पर पहनी हुई जीन्स के पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 10000 रूपये को दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी से प्राप्त कर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना भ्रनिब्यूरो दौसा में जमा करवाने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक के पास रखी गई। समय 7.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही को स्थगित करने के निर्णय लेने के उपरान्त परिवादी श्री धीरज सिंह को विभागीय टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने संबंधी कार्यवाही हेतु दिनांक 23.09.2023 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत मुनासिब कर उसके निवास स्थान के लिये रवाना किया गया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, दौसा मय हमराहीयान जाप्ता, साजो–सामान के कार्यालय भ्रनिब्यूरो दौसा के लिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। समय 9.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, दौसा मय हमराहीयान जाप्ता, साजो–सामान के कार्यालय भ्रनिब्यूरो दौसा पहुंचा, जहां मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 10000 रूपये का सफेद लिफाफे को कार्यालय हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु श्री बनवारी लाल हैड कानि. 116 को सुपुर्द किया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री राकेश कुमार को दिनांक 23.09.2023 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत मुनासिब कर उनके निवास स्थान के लिये रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 23.09.2023 को समय 12.40 पी. एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री धीरज सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री राकेश कुमार उपस्थित कार्यालय आये। जिनके समक्ष परिवादी श्री धीरज सिंह व आरोपी श्री वीरेन्द्र सिंह, फोरमैन, खनिज विभाग व एम.ई. का पी.ए. के मध्य दिनांक 21.09.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो परिवादी से प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर

वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री वीरेन्द्र सिहं, फोरमैन, खनिज विभाग व एम.ई. के पी.ए. की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री धीरज सिंह द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु चार खाली डीवीडी ट्रेप बाक्स से ली जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर डीवीडियों पर मार्क– A-1, A-2, A-3 व A-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री धीरज सिंह के हस्ताक्षर करवाकर तीन डीवीडी मार्क A-1, A-2 व A-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर डीवीडी मार्क A-1, A-2 व A-3 को अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 व A-3 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नहीं होने और अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में वक्त रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को भी एस.डी. कार्ड में रिकॉर्ड किया जाना है, इस हेतु उक्त एस.डी. कार्ड को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु सुरक्षित मय वॉईस रिकॉर्डर के रखा गया और जप्त नहीं किया गया। रिकॉर्ड शुदा वार्ता की ट्रान्सकिप्ट व जब्ती डीवीडी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से श्री प्रेम प्रकाश कानि. नं. 382 से तैयार करवाई गई, जिसकी फर्द ट्रान्सकिप्ट एवं जब्ती मूल डीवीडी रिश्वत राशि मांग सत्यापन पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई तथा सील्डशुदा डी.वी.डी. श्री बनवारी लाल हैड कानि. 116 के मार्फत कार्यालय के मालखाना में जमा करवाई गई। इसके बाद परिवादी श्री धीरज सिंह को आरोपी द्वारा पैसे मांगने पर तुरन्त सूचित करने की आवश्यक हिदायत कर तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी गोपनीयता बनाये रखने एवं कॉल करने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 30.10.2023 को समय 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री धीरज सिंह कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि "आरोपीगणों को कार्यवाही का शक होने के फलस्वरूप अब वो मेरे से रिश्वत की मांग नहीं कर रहे है। ऐसी स्थिति में अब कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः मेरे द्वारा उक्त कार्यवाही के पेटे दिनांक 22.09.2023 को पेश की गई रूपये 10000/– मेरे को लौटाये जाने की कृपा करें।" परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही के पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, प्र0 श्रे0 प0 चि0 भाण्डारेज व श्री राकेश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, बहु0 प0 चि0 दौसा को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये। समय 05.30 पीएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, प्र0 श्रे0 प0 चि0 भाण्डारेज व श्री राकेश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, बहु0 प0 चि0 दौसा के कार्यालय में उपस्थित पर परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को बताई गई बातों से उन्हें अवगत करवाया गया। समय 05.35 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार "आरोपीगणों को कार्यवाही का शक होने के फलस्वरूप अब वो मेरे से रिश्वत की मांग नहीं कर रहे है। ऐसी स्थिति में अब कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने पर परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, प्र0 श्रे0 प0 चि0 भाण्डारेज व श्री राकेश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, बहु0 प0 चि0 दौसा के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने द्वारा दिनांक 22.09.2023 को आरोपी की मांग अनुसार पेश की गई रिश्वत राशि 10,000/–रूपये वापस लौटाने

व कार्यवाही को बन्द करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 22.09.2023 को पेश की गई रिश्वती राशि 10,000/–रूपये के नोटों को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर जरिये फर्द परिवादी को रिश्वती राशि वापस लौटाई जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री धीरज सिंह तथा आरोपी श्री वीरेन्द्र सिंह, फोरमैन, खनिज विभाग, भरतपुर एवं अन्य के मध्य दिनांक 21.09.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय आमने–सामने हुई वार्ता जो विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे माईक्रो एसडी कार्ड में वॉईस रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पूर्व में दिनांक 23.09.2023 को तैयार की गई थी एवं ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में वक्त रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को भी एस.डी. कार्ड में रिकॉर्ड किया जाना था, इसलिये उक्त मूल माइक्रो एस.डी. को जप्त नहीं किया जाकर मय वॉईस रिकॉर्डर के सुरक्षित रखा गया था, जिसे परिवादी श्री धीरज सिंह के उपस्थित कार्यालय आने पर एवं उसके द्वारा यह बताये जाने पर कि "आरोपीगणों को कार्यवाही का शक होने के फलस्वरूप अब वो मेरे से रिश्वत की मांग नहीं कर रहे है। ऐसी स्थिति में अब कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।" परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त माइक्रो एसडी कार्ड को उसी एसडी कार्ड के पैकेट में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर कपडे की थैली को मार्क "SD" अंकित कर फर्द जप्ती पृथक् से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी को कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 30.10.2023/समय 06.30 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के सामने ट्रैप कार्यवाही में काम ली गई नमूना ब्रांस सील पीतल नं. 42 को बाद कार्यवाही कानि श्री अशोक कुमार नं. 505 से तुडवाकर नष्ट करवाई जाकर फर्द नष्टीकरण पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रापवली की गई जिसमें विस्तृत वर्णन अंकित है। इसके बाद दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश कुमार एवं श्री राकेश कुमार को रवाना किया गया।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा, उम्र 38 साल जाति वर्मा निवासी ग्राम उमरी पोस्ट मोहम्मदपुर खाला तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) हाल खनि कार्यदेषक–II कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की ऐवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुए परिवादी धीरज सिंह पुत्र डॉ. भूरी सिंह, निवासी 427, कृष्णा नगर, भरतपुर की माईन्स जो कि परिवादी ने मैसर्स कुमार इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेन्ट प्रा. लि. से अप्रैल 2023 से किराये पर चलाने के लिये ले रखी है, को सुचारू रूप से चलाने देने की ऐवज में खनिज विभाग के श्री वीरेन्द्र कुमार, फोरमैन द्वारा 10000/–रूपये मासिक की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदार नाथ वर्मा, खनि. कार्यदेषक-II कार्यालय खनिज अभियंता, भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 302/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

4/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

क्रमांकः- 3118-21 दिनांक 04.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।